उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-96/2015/5151/62-2-2015-2/5(12)/2004
लखनऊ: दिनांक: 05 अगस्त, 2015

कार्यालय ज्ञाप

लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता सूची शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-3366/62-2-2005-2/5(12)/2004, दिनांक 30-08-2005 द्वारा प्रख्यापित की गयी थी। दिनांक 30-8-2005 के पश्चात विभाग में सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6503/ 62-2-2013-2/5(12)/2004, दिनांक 13-03-2014 द्वारा परिचालित करते हुए संबंधित सहायक अभियंताओं से आपत्तियां प्राप्त हुई, जिसमें 06 आपत्तियां सीधी भर्ती के सहायक अभियंताओं द्वारा तथा 10 आपत्तियां प्रोन्नति कोटे के सहायक अभियंताओं द्वारा दी गयी है। 01-01 आपत्ति श्री गोविन्द चन्द्र गुप्ता, अधिशासी अभियंता एवं श्री प्रतीक रंजन चौरसिया, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता वर्तमान में मुख्य अभियंता द्वारा दी गयी है।

2. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक अभियंताओं सर्वश्री दारा सिंह दोहरे के पत्र दिनांक 16-4-2014, विनोद कुमार यादव के पत्र दिनांक 16-4-2014, अशोक कुमार के पत्र दिनांक 21-4-2014, मोहन प्रकाश पासवान के पत्र दिनांक 10-4-2014, अखिलेश कुमार के पत्र दिनांक 11-4-2014 व जय प्रकाश के पत्र दिनांक 21-4-2014 द्वारा दी गयी आपत्तियों का सारांश निम्नवत है:-

(1) इन सहायक अभियंताओं द्वारा मूलरूप से यह बिन्दु उठाया गया है कि आरक्षण अधिनियम की धारा-3(7) के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देकर प्रोन्नति पाये अनुसूचित जाति के सभी सहायक अभियंताओं को मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण वर्ष 1997 से समाप्त कर दिये जाने तथा ज्येष्ठता नियमावली की धारा-8(क) की व्यवस्था समाप्त कर दिये जाने के परिणाम स्वरूप पोषक संवर्ग अवर अभियंता की ज्येष्ठता सूची के अनुसार नीचे रखा जाना चाहिए। तदनुसार सीधी भर्ती से चयनित सहायक अभिंयताओं द्वारा आरक्षण का लाभ पाकर अवर अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति पाये अनुसूचित जाति के क्रमश: श्री एस0पी0 राम, श्री पी0एन0 गौतम एवं श्री संजय कुमार को उनके पोषक पद अवर अभियंता की ज्येष्ठता के अनुसार ज्येष्ठता सूची में नीचे अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री एस0पी0 राम, श्री संजय कुमार एवं श्री प्रेम नारायण गौतम को आरक्षण अधिनियम-1994 की धारा-3(7) के अन्तर्गत् आरक्षण का लाभ देते हुए सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया है। अत: आपत्तिकर्ता सहायक अभियंताओं की आपत्ति को स्वीकर करते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण अधिनियम-1994 की धारा-3(7(के अन्तर्गत पदोन्नति में आरक्षण तथा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के धारा-8(क) की व्यवस्था समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप उपर्युक्त तीनों सहायक अभियंताओं को पोषक संवर्ग अवर अभियंता के पद की ज्येष्ठता के अनुसार ज्येष्ठता सूची के उनसे वरिष्ठ के नीचे ज्येष्ठता प्रदान की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) सीधी भर्ती के सहायक अभिंयताओं द्वारा यह भी बिन्दु उठाया गया है कि उनकी नियुक्ति हेतु संस्तुति लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 27-5-2008 द्वारा की गयी है, जबकि प्रोन्नति कोटा के सहायक अभियंताओं की संस्तुति आयोग के पत्र दिनांक 24-7-2008 द्वारा की गयी है। अत: लोक सेवा आयोग द्वारा प्रोन्नति कोटे के सहायक अभिंयताओं से पहले चयन की सूचना दिये जाने के कारण सीधी भर्ती के सहायक अभिंयताओं का नाम प्रोन्नति कोटे के उनके बाद आयोग द्वारा संस्तुत किये गये सहायक अभियंताओं, जिनका नाम क्रमांक-114 से 118 पर अंकित है, से ऊपर होना चाहिए।

सीधी भर्ती के सहायक अभियंताओं द्वारा उपर्युक्त बिन्दु-(2) में उठायी गयी आपत्तियों के संबंध में यह अवगत कराना है कि उ0 प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली,1991 (यथा संशोधित) में मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता अवधारित किये जाने की व्यवस्था है। सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु संस्तुति लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 27-5-2008 के माध्यम से शासन में प्राप्त हुई तथा प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु शासन में प्राप्त हुई। उक्त प्राप्त संस्तुतियों के क्रम में पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत संबंधित सहायक अभियंताओं के पदोन्नति आदेश वर्ष 2008 में निर्गत किये गये तथा सीधी भर्ती के लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित सहायक अभियंताओं के नियुक्ति आदेश वर्ष 2009 में निर्गत किये गये है। उ0 प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली,1991 (यथा संशोधित) में मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही ज्येष्ठता अवधारित किये जाने की व्यवस्था है, न कि इससे इतर। पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियंताओं की पदोन्नति आदेश पहले निर्गत किये गये है और सीधी भर्ती के अन्तर्गत चयनित सहायक अभियंताओं के नियुक्ति आदेश बाद में निर्गत किये गये हैं। ऐसी स्थित में उक्त नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सीधी भर्ती के अन्तर्गत नियुक्त सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता, क्रमांक-114 से 118 (अब क्रमांक-113 से 115) पर अंकित पदोन्नति कोटे के सहायक अभियंताओं से ऊपर नहीं प्रदान की जा सकती है।

(3) सीधी भर्ती के सहायक अभियंताओं द्वारा यह भी बिन्दु उठाया गया है कि भारत सरकार के मिनिस्टरी आफ पर्सनल, पब्लिक ग्रिवान्सेस एवं पेंशन डिपार्टमेंट आफ पर्सनल एवं टेनिंग के आफिस मेमोरेन्डम दिनांक 04.03.2014 द्वारा सीधी भर्ती एवं पदोन्नति कोटे में पारस्परिक ज्येष्ठता के संबंध में बिंदु सं0-5 के प्रस्तर-C,D,E,F,G एवं H में स्पष्ट किया गया है कि सीधी भर्ती में ज्येष्ठता का निर्धारण आयोग को भर्ती हेतु भेजे गये अधियाचन की तिथि से माना जायेगा।

इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में लोक सेवा आयोग को भर्ती हेतु भेजे गये अधियाचन की तिथि से ज्येष्ठता किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, अत: सीधी भर्ती के सहायक अभियंताओं की यह मांग कि लोक सेवा आयोग को भर्ती हेतु भेजे गये अधियाचन की तिथि से ज्येष्ठता प्रदान की जाय, स्वीकार करने योग्य नहीं है।

3. पदोन्नति द्वारा नियुक्त सहायक अभियंताओं सर्वश्री हरीश चन्द्र गुप्ता के पत्र दिनांक 21.04.2014,शैलेन्द्र सिंह के पत्र दिनांक 16.04.2014, कुलदीप मिश्रा के पत्र दिनांक 21.04.2014, हरमिन्दर सूद के पत्र दिनांक 23.04.2014, शलभ श्रीवास्तव के पत्र दिनांक 23.04.2014 एवं श्री राजेश कुमार गुप्ता के पत्र दिनांक 17.04.2014 द्वारा सहायक अभियंताओं की पूर्व में प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 30.08.2005 में आरक्षण अधिनियम-1994 की धारा-3(7) एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (ज्येष्ठता) नियमावली, 19991 के नियम-8(क) का लाभ पाकर स्थान पाये, श्री श्याम प्यारे राम का नाम दिनांक 30.08.2005 को निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची से हटाकर उनकी पोषक संवर्ग अवर अभियंता (मैकेनिकल) की ज्येष्ठता के अनुसार स्थान दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इस संबंध में अवगत कराना है कि श्री एस0पी0 राम, आरक्षण अधिनियम-1994 की धारा-3(7) के अंतर्गत वर्ष 2004 में प्रोन्नति प्राप्त कर सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। सहायक अभियंताओं की पूर्व में प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 30.08.2005 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा बैध मान लिया गया है और उक्त ज्येष्ठता सूची को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी बैध माना गया है, परन्तु आरक्षण के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय/मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अवलोक में उक्त सूची के क्रमांक-105 से श्री एस0पी0 राम का नाम हटाकर नियमानुसार उनसे ज्येष्ठ अवर अभियंताओं, जो सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं, से नीचे रखा गया है। श्री श्याम प्यारे राम की ज्येष्ठता पोषक संवर्ग के अनुसार निर्धारित की जायेगी और जैसे-जैसे पोषक पद के इनके वरिष्ठ अवर अभियंता प्रोन्नत होते जायेंगे, वैसे-वैसे उनका नाम श्री एस0पी0 राम के ऊपर अवस्थित होता जायेगा। आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा-3(7) के अन्तर्गत प्रोन्नत कार्मिकों को अगले उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जब तक कि सेवा के मूल पद की जयेष्ठता के आधार पर वरिष्ठ कार्मिकों की प्रोन्नति नहीं हो जाती।

4. श्री पी0एन0 गौतम द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि शासन द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका नाम क्रमांक-5 पर अंकित है। क्रमांक-1 व 2 पर अंकित सहायक अभियंताओं की पदोन्नति रिक्ति वर्ष 2006-07 तथा क्रमांक-3 अंकित सहायक अभियंता की पदोन्नति रिक्ति वर्ष 2007-08 के विरूद्ध की गयी है, जबकि क्रमांक-4 व 5 पर अंकित सहायक अभियंताओं की पदोन्नति वर्ष 2003-04 की रिक्तियों के विरूद्ध की गयी है, अत- उक्त तथ्यों के आलोक में श्री गौतम द्वारा अपना क्रमांक-5 के स्थान पर क्रमांक-2 पर अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में स्थिति यह है कि श्री पी0एन0 गौतम एवं श्री संजय कुमार को डिग्री कोटे के अन्तर्गत पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देकर वर्ष 2008 में पदोन्नत किय गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप श्री संजय कुमार एवं श्री पी0एन0 गौतम का उनसे ज्येष्ठ प्रोन्नत अवर अभियंताओं के नीचे ज्येष्ठता प्रदान की गयी है। अत: श्री गौतम द्वारा उठायी गयी आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

5. श्री श्याम प्यारे राम, सहरायक अभियंता ने अपने पत्र दिनांक 20.12.2014 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उनका नाम दिनांक 30.08.2005 को निर्गत ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित है। उक्त ज्येष्ठता सूची विभिन्न याचिकाओं द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी, जो निरस्त हो गयी है और वर्ष 2005 में निर्गत उक्त ज्येष्ठता सूची अन्तिम हो गयी है। उक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर विगत वर्षों में दो बार पदोन्नति समिति की बैठकों में नाम पर विचार भी हो चुका है, अत: उनके बाद सहायक अभियंता बने कुछ सहायक अभियंताओं के अनुरोध पर मा0 उच्च न्यायालय से बैध घोषित ज्येष्ठता सूची में कोई बदलाव न किया जाय अर्थात सन 2005 में निर्गत ज्येष्ठता सूची से उनका नाम न हटाया जाय। इस संबंध में स्थिति यह है कि श्री एस0पी0 राम को आरक्षण अधिनियम-1994 की धारा-3(7) के अन्तर्गत वर्ष 2004 में सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। सहायक अभियंताओं की पूर्व में प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 30.08.2005 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा बैध मान लिया गया है और उक्त ज्येष्ठता सूची को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी बैध माना गया है, परन्तु मा0 उच्च न्यायालय/मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। श्री श्याम प्यारे राम मूलत: अवर अभियंता (मैकेनिकल) हैं, जिसके अन्तर्गत आरक्षण का लाभ पाकर सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत हुए हैं। अवर अभियंता (मैकेनिक) की ज्येष्ठता सूची दिनांक 20.09.2002 में श्री श्याम प्यारे राम से वरिष्ठ श्री घनश्याम सिंह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अभी सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत नहीं हुए हैं। नियमानुसार श्री श्याम प्यारे राम की ज्येष्ठता पोषक संवर्ग के अनुसार निर्धारित की जायेगी और जैसे-जैसे पोषक पद के इनके वरिष्ठ अवर अभियंता प्रोन्नत होते जायेंगे वैसे-वैसे उनका नाम श्री एस0पी0 राम के ऊपर अवस्थित होता जायेगा। चूंकि अवर अभियंता (मैकेनिकल) की ज्येष्ठता सूची में श्री श्याम प्यारे राम से वरिष्ठ श्री घनश्याम सिंह अभी भी अवर अभियंता हैं, ऐसी स्थिति में श्री श्याम प्यारे राम का नाम, शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-336/62-2-2005-2/5(12)/2004, दिनांक 30.08.2005 द्वारा निर्गत सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-105 से हटाकर उक्त ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-165 पर रख दिया गया है। अत: उक्त् के आलोक में श्री श्याम प्यारे राम की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

6. श्री बिमल कुमार शर्मा एवं श्री उदयभान सिंह पदोन्नति प्राप्त सहायक अभियंताओं द्वारा पोषक संवर्ग अवर अभियंता की ज्येष्ठता के अनुसार सहायक अभियंता की ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का अनुरोध करते हुए अनन्तिम सूची में अपना नाम क्रमांक-141 से ऊपर अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने की व्यवस्था है। श्री बिमल कुमार शर्मा एवं श्री उभयभान सिंह की सहायक अभियंता के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि क्रमश: 30.07.2013 एवं 06.11.2013 है। अतएव अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध इनके द्वारा दी गयी आपत्ति ग्राहय नहीं है।

7. श्री विनोद कुमार यादव, सहायक अभियंता द्वारा यह आपत्ति प्रकट की गयी है कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13.03.2014 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-120 पर मेरा नाम अंकित है, जिसमें जन्म तिथि 01.01.1979 अंकित है, जबकि मेरी वास्तविक जन्म तिथि 08.08.1979 है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में कार्यरत सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता सूची निर्गत किये जाने के संबंध में मुख्य अभियंता के पत्र दिनांक 16.12.2013 द्वारा जो सूचना उपलब्ध करायी गयी है, उसमें श्री विनोद कुमार यादव की जन्म तिथि 01.01.1979 है, परन्तु श्री यादव द्वारा की गयी आपत्ति की पुष्टि उनके द्वारा लोक सेवा आयोग में भरे गये सत्यापन प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न उनके हाईस्कूल के प्रमाण पत्र से होती है, अत: उनकी आपत्ति को स्वीकार करते हुए उक्त ज्येष्ठता सूची में उनके नाम के सम्मुख उनकी जन्म तिथि 08.08.1979 संशोधित कर दी गयी है।

8. श्री गोविन्द चन्द्र गुप्ता, अधिशासी अभियंता द्वारा ज्येष्ठता सूची दिनांक 30.08.2005 में श्री प्रतीक रंचक चौरसिया व श्री राम चरण पाल के नाम उनके ज्येष्ठता क्रमांक से हटाते हुये उन्हें दिनांक 06.12.1997 से ज्येष्ठता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है तथा उक्त ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-105 पर अंकित श्री श्याम प्यारे राम का नाम हटाये जाने व अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 13.03.2014 के क्रमांक-117 व 118 पर अंकित श्री संजय कुमार व श्री प्रेम नारायण का नाम भी हटाये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में स्थिति यह है कि सहायक अभियंता पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 30.08.2005 मा0 उच्च न्यायालय/ मा0 सर्वोच्च न्यायालय से अन्तिम हो चुकी है। अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 13.03.2014 में न तो श्री गोविन्द चन्द्र गुप्ता का नाम सम्मिलित है और न ही इनसे वरिष्ठ किसी अभियंता का ही नाम सम्मिलित है, ऐसी स्थिति में श्री गुप्ता द्वारा की गयी आपत्ति ग्राहय नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9. श्री प्रतीक रंजन चौरसिया द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 02..05.2014 में शासनादेश सं0-6503/62-2-2013-2/5(100)/2004, दिनांक 13-3-2014 द्वारा सहायक अभियंताओं की निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में श्री गोविन्द चन्द्र गुप्ता, अधिशासी अभियंता द्वारा उनके ज्येष्ठता के संबंध में दिये गये प्रत्यावेदन के बारे में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 30-8-2005 की ज्येष्ठता सूची निर्गत करने से पूर्व अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी थी और संबंधित अधिकारियों से प्राप्त आपत्तियों का सम्यक निस्तारण करते हुए दिनांक 30-8-2005 की ज्येष्ठता सूची, पूर्व की समस्त ज्येष्ठता सूचियों को निरस्त करने के उपरांत अन्तिम रूप से निर्गत की गयी थी। यदि श्री गुप्ता को उक्त ज्येष्ठता सूची के बारे में कोई आपत्ति थी तो उन्हें मा0 न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए थी, जो उनके द्वारा नही किया गया, बल्कि इसे स्वीकार करते हुए उक्त ज्येष्ठता सूची के आधार पर अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति भी प्राप्त कर ली गयी। श्री चौरसिया द्वारा उक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए श्री गुप्ता के प्रत्यावेदन में उल्लिखित आपत्ति का निराकरण किया गया है, न कि कोई प्रत्यावेदन दिया गया है। अत: स्पष्ट है कि श्री प्रतीक रंजन चौरसिया द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 13-3-2014 के विरूद्व कोई आपत्ति नही की गयी है।

10. शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-6503/62-2-2013-2/5(12)/2004, दिनांक 13-3-2014 द्वारा निर्गत की गयी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के संबंध में प्राप्त समस्त प्रत्योवदनों एवं आपत्तियों का उपर्युक्तानुसार निस्तारण करते हुए लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 में दिनांक 13-3-2014 तक कार्यरत सहायक अभियंताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची एतदद्वारा संलग्नक के अनुसार प्रख्यापित की जा रही है।

संलग्नक:- यथोक्त।

ह0/
(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

सं0-96/2015/5151(1)/62-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, कार्मिक अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे इस अन्तिम ज्येष्ठता सूची में उल्लिखित सहायक अभियंताओं को ज्येष्ठता सूची की संलग्नक सहित एक-एक प्रति अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए उसकी प्राप्ति रसीद शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4- संबंधित अधिकारीगण द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-5151-1/62-2-2015-2/5(12)/2004, दिनांक: 05 अगस्त ,2015 द्वारा प्रख्यापित लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता सूची-

क्रम सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	भर्ती/नियुक्ति का स्रोत/ माध्यम	सहा0अभि0 के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1-	113	सर्वश्री सैययद असलम अली	रामपुर	02-02-1962	पदोन्नति	06-08-2008
2-	114	हरिशचन्द्र गुप्ता	देवरिया	30-06-1965	पदोन्नति	06-08-2008
3-	115	शैलेन्द्र सिंह	मथुरा	01-02-1962	पदोन्नति	06-08-2008
4-	116	अखिलेश कुमार	जालौन	08-11-1977	सीधी भर्ती	02-03-2009
5-	117	विनोद कुमार यादव	मऊ	08-08-1979	सीधी भर्ती	02-03-2009
6-	118	द्वारिका प्रसाद	हरदोई	22-09-1976	सीधी भर्ती	02-03-2009
7-	119	अशोक कुमार	औरैया	01-10-1975	सीधी भर्ती	13-01-2009
8-	120	दारा सिंह दोहरे	जालौन	07-09-1976	सीधी भर्ती	02-03-2009
9-	121	जय प्रकाश	मिर्जापुर	06-08-1978	सीधी भर्ती	13-01-2009
10-	122	मोहन प्रकाश पासवान	गोण्डा	01-07-1981	सीधी भर्ती	02-03-2009
11-	123	विजय कुमार	इलाहाबाद	06-07-1979	सीधी भर्ती	13-01-2009
12-	124	कुलदीप मिश्रा	रायबरेली	15-07-1965	पदोन्नति	10-11-2009
13-	125	हरमिन्दर सूद	सहारनपुर	15-12-1962	पदोन्नति	10-11-2009
14-	126	शलभ श्रीवास्तव	इलाहाबाद	24-06-1963	पदोन्नति	10-11-2009
15-	127	त्रिवेणी शरण तिवारी	बाराबंकी	08-09-1958	पदोन्नति	10-11-2009
16-	128	भुवन चन्द्र जोशी	पिथौरागढ़ **(उत्तराखण्ड)**	01-11-1960	पदोन्नति	10-11-2009
17-	129	राजेश कुमार गुप्ता	फतेहपुर	25-06-1965	पदोन्नति	10-11-2009
18-	130	मो0 इकबाल खॉ	बुलन्दशहर	05-01-1957	पदोन्नति	10-11'2009
19-	131	कपिल देव	गोरखपुर	01-07-1957	पदोन्नति	15-11-2010
20-	132	राम करन राम	गाजीपुर	05-07-1955	पदोन्नति	15-11-2010
21-	133	गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव	गाजीपुर	27-11-1954	पदोन्नति	02-11-2012
22-	134	महेश कुमार शर्मा	बुलन्दशहर	05-01-1955	पदोन्नति	02-11-2012
23-	135	प्रमोद कुमार उपाध्याय	आगरा	02-03-1954	पदोन्नति	02-11-2012
24-	136	अशोक कुमार वर्मा	हरदोई	01-01-1957	पदोन्नति	02-11-2012
25-	137	राम सुख	बस्ती	05-06-1954	पदोन्नति	19-11-2012
26-	138	अशरफ अली	देवरिया	25-06-1954	पदोन्नति	02-11-2012
27-	139	रवि शंकर सिंह पुत्र श्री गोवर्धन सिंह	मिर्जापुर	11-01-1955	पदोन्नति	02-11-2012
28-	140	सुनील कुमार श्रीवास्वत	मऊ	31-03-1955	पदोन्नति	02-11-2012
29-	141	कमलेश कुमार	इलाहाबाद	24-07-1956	पदोन्नति	02-11-2012
30-	142	लालमणि चौधरी	संतकबीर नगर	15-07-1955	पदोन्नति	02-11-2012
31-	143	शंकर बक्श सिंह	बलरामपुर	08-05-1954	पदोन्नति	02-11-2012
32-	144	राम पलट	जौनपुर	20-02-1955	पदोन्नति	02-11-2012
33-	145	रामजी राम	बलिया	05-06-1954	पदोन्नति	02-11-2012
34-	146	विमल कुमार शर्मा	बदायूँ	10-02-1956	पदोन्नति	30-7-2013

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

35-	147	रवीन्द्र कुमार त्यागी	बागपत	15-07-1955	पदोन्नति	30-7-2013
36-	148	लाल बिहारी द्विवेदी	इलाहाबाद	01-10-1957	पदोन्नति	30-7-2013
37-	149	अमरदेव सिंह यादव	गाजीपुर	24-07-1959	पदोन्नति	30-7-2013
38-	150	राजन लाल	एटा	01-01-1957	पदोन्नति	30-7-2013
39-	151	रामा प्रसाद शर्मा	बलिया	01-06-1957	पदोन्नति	30-7-2013
40-	152	रवि रंजन	हरदोई	01-07-1955	पदोन्नति	30-7-2013
41-	153	जगदीश प्रसाद	सीतापुर	02-01-1956	पदोन्नति	30-7-2013
42-	154	हवलदार राम	आजमगढ	04-10-1954	पदोन्नति	30-7-2013
43-	155	सुरेश चन्द्र कन्नौजिया	हरदोई	01-01-1956	पदोन्नति	30-7-2013
44-	156	राम चन्द्र	संतकबीर नगर	20-09-1957	पदोन्नति	30-7-2013
45-	157	प्रमोद कुमार	अलीगढ	20-12-1957	पदोन्नति	30-7-2013
46-	158	बाल किशुन	मिर्जापुर	02-06-1955	पदोन्नति	30-7-2013
47-	159	सोने लाल	मैनपुरी	01-01-1956	पदोन्नति	30-7-2013
48-	160	श्याम लाल	बांदा	24-08-1955	पदोन्नति	30-7-2013
49-	161	बाबू राम	इटावा	28-08-1955	पदोन्नति	30-7-2013
50-	162	मेवा लाल	कानपुर नगर	04-08-1954	पदोन्नति	30-7-2013
51-	163	गजराज सिंह	मैनपुरी	07-09-1954	पदोन्नति	06-11-2013
52-	164	उदयभान सिंह	अलीगढ	21-12-1956	पदोन्नति	06-11-2013
53-	165	श्याम प्यारे राम	मऊ	05-02-1962	पदोन्नति	23-11-2004
54-	166	संजय कुमार	सहारनपुर	01-01-1976	पदोन्नति	06-8-2008
55-	167	प्रेम नारायण	हमीरपुर	14-10-1975	पदोन्नति	06-8-2008

ह0/

(राम किंकर मिश्र)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।